राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3469/2025

अमृत सिंह चंदेला

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2025
आदेश की दिनांक : 05.08.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2025 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत निलंबन निरस्तीकरण के बाद अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोलपुर, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में पदस्थापित किया गया था, एवं प्रत्यर्थी विभाग ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध बौंली, सवाई माधोपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 128/2023 में लगाए गए आरोपों के संबंध में जाँच लंबित है और उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है। और इस संबंध में अपीलार्थी ने संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर को अभ्यावेदन दिनांक 24.06.2025 को प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया है। (अनुलग्नक–1 व 2) अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है और उसके विरुद्ध बौंली, सवाई माधोपुर में एफआईआर संख्या 128/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 354(डी) के प्रावधानों के तहत झूठा मामला दर्ज किया गया था। इसी आधार पर उसे सीसीए के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25.04.2023 के आदेश द्वारा सेवा से निलंबित कर दिया गया। (अनुलग्नक–3) प्रारंभ में अपीलार्थी का मुख्यालय सीबीईओ राजाखेड़ा धौलपुर निर्धारित था, जिसे बाद में दिनांक 22.07.2024 के आदेश द्वारा सीबीईओ

महावीरजी, जिला करौली कर दिया गया। सवाई माधोपुर जिले में नियुक्ति से उसे अनावश्यक कठिनाई होगी क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने वाली लड़की के माता–पिता उसे धमका रहे हैं, इसलिए उसने प्रार्थना की कि उसे सवाई माधोपुर या करौली जिले से बाहर तैनात किया जाए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 19.06.2025 को पारित आलौच्य आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन एवं सभी सुविधाओं के साथ भरतपुर संभाग में कहीं भी पदस्थ किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य